

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय

NOTICE
IN THE GAZETTE
DATED 07 JUL 2018

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 27 जुल 2018

का.नि.आ. 4.5.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (फोटोग्राफर) (समूह 'ग' और 'घ') पद भर्ती नियम, 2004 को, जहाँ तक उनका संबंध फोटोग्राफर श्रेणी-I, फोटोग्राफर श्रेणी-II, फोटो परिचर श्रेणी-I और फोटो परिचर श्रेणी-II के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में फोटोग्राफर श्रेणी-I, फोटोग्राफर श्रेणी-II, फोटो परिचर श्रेणी-I, फोटो परिचर श्रेणी-II (समूह 'ग' पद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय (सेना, नौसेना) के एकीकृत मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (फोटोग्राफर श्रेणी-I, फोटोग्राफर श्रेणी-II, फोटो परिचर श्रेणी-I और फोटो परिचर श्रेणी-II) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लगे होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उक्त वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

W/13 0/11

5. निरर्हता : वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

W. K. S. S.

“अनुसूची”

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---------------------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| फोटोग्राफर श्रेणी-I | 06* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रू.29200-92300) |

| चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|------------------|---|
| (5) | (6) |
| अचयन | लागू नहीं होता । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
|--|---|--------------------------------|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| |
|--|
| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता |
| (10) |
| प्रोन्नति द्वारा। |
| टिप्पण: सभी पात्र अभ्यर्थियों के प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए व्यावसायिक परीक्षण में अर्हित करना अपेक्षित होगा । |

Handwritten signature

